कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नस्ती क्रमाक 116/2016एल

क्रमांक/ 4040 /भू-अर्जन/2017/ 116 खण्डवा, दिनांक 20/03/2017

//प्रारंभिक अधिससूचना//

[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा 11(1) के अन्तर्गत]

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके व्दारा अनुसूची(1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा-12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित पहुच मार्ग की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है। अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 - सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है।

-: अनुसूची (1) :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
खण्डवा	टप्पा- मूंदी तहसील पुनासा	डाबरी	0.85	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा	हनुवंतिया -बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी गुलगांव रैयत, जामकोटा

-: अनुसूची (2) :-

बांगरदा -हनुवंतिया पहुच मार्ग निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत. ग्राम- डाबरी की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
1	2
2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2,5/1,6/1,189/1,191/1,189/5, 191/3, 191/4,191/5,194/1,195/1,195/2,196/5,197/1,196/4	0.85
योग :- 17	0.85

नोटः-

1. भूमि का नक्शा(प्लान) अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

(स्वाति मीणा नायक)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म0प्र0शासन, राजस्व विभाग,
जिला खण्डवा (म0प्र0)